

नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

(दिनांक 17/10/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ) की अध्यक्षता में दिनांक 1/10/2023 को दोपहर 02:30 बजे हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ) की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

- A. बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-
1. श्री सुरेंद्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र NSEZ) (23/09/2008 के पत्र के संदर्भ में वाणिज्य विभाग के नामित)
 2. श्री एस के राव, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, नौएडा आयुक्तालय।
 3. श्री मयंक, सहायक प्रबंधक,, सहायक प्रबंधक, डीआईसी, नौएडा प्रधान सचिव, उद्योग, उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधि)
 4. श्री चमन लाल, सहायक डीजीएफटी, सीएलए, नई दिल्ली।
 5. श्री अमित कुमार वर्मा, आयकर अधिकारी, आयकर विभाग, नौएडा।
 6. श्रीमती सुमित गोवर, प्रबंधक, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नौएडा।

इसके अलावा, बैठक के दौरान श्री i) किरण मोहन मोहदिकर, उप विकास आयुक्त नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र NSEZ) , (ii) अमित गुप्ता, निर्दिष्ट अधिकारी, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र NSEZ) , (iii) प्रकाश चंद उपाध्याय, सहायक विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र NSEZ) , (iv) भारत भूषण, सहायक, परियोजना अनुभाग, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र NSEZ) , (v) पी पी सिंह एईई यूपीसीबी और (vi) राजीव कुमार, जेई, यूपीपीसीएल, नौएडा भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। यह सूचित किया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

B. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के साथ-साथ आवेदकों/इकाइयों के प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

C. कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:

(1) दिनांक 03/10/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

03/10/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध न तो कोई संदर्भ था और न ही आपत्तियाँ थीं। इसलिए, अनुमोदन समिति ने इस पर ध्यान दिया और तदनुसार, 03/10/2023 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन समिति द्वारा सर्वसम्मति से संशोधित किया गया।

रि/10

(2) एएसी प्रोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र NSEZ में एक नई विनिर्माण इकाई स्थापित करना।

2.1 यह बताया गया कि मेसर्स एएसी प्रोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने एनएसईजेड में i) लैब या छोटे टैंक हीटर 85161000 (4800 टुकड़े/वर्ष); (ii) टाइटन तात्कालिक जल तापन प्रणाली 85161000 (4800 टुकड़े/वर्ष) के निर्माण के लिए एक इकाई स्थापित करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है। श्री सुनील गोवर, निदेशक और श्री के एन श्रीवास्तव, प्रतिनिधि अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया।

2.2 यह सूचित किया गया कि आवेदक को निम्नलिखित कमियों को सुधारने और निम्नानुसार देखी गई जानकारी/दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता है

- I. प्रपत्र-एफ1 में बिजली की आवश्यकता 0 केवीए बताई गई है। इसलिए, वर्तमान आवश्यकता का उल्लेख किया जाना आवश्यक है
- II. श्री सुनील गोवर के आईटीआर की प्रति नहीं दी गई है। आईटीआर सत्यापन फॉर्म के केवल प्रथम पृष्ठ की प्रति दी गई है।
- III. आवेदक ने कहा है कि परियोजना को एफडीआई मार्ग के माध्यम से प्रवर्तक द्वारा 100% वित्तपोषित किया जाएगा। इसलिए, प्रस्तावित अनुदान के समर्थन में पिछले तीन वर्षों के लिए मेसर्स एएसी इंटरनेशनल एलएलसी, संयुक्त राज्य अमेरिका (UAS) का पूरा वित्तीय विवरण/अंकेक्षण बैलेंस शीट दी जानी चाहिए।
- IV. ऐसा देखा गया है कि परियोजना लागत के अंतर्गत फ़ोन का उल्लेख किया गया है। हालाँकि, यह स्पष्ट नहीं है कि किस प्रकार की फ़ोन इकाई खरीदी जाएगी जिसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है।
- V. फॉर्म-एफ के कॉलम एक्स के सामने क्या विदेशी प्रौद्योगिकी समझौते की परिकल्पना की गई है- आवेदक ने फॉर्म-एफ में 'नहीं' का उल्लेख किया है। हालाँकि, परियोजना रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि 'प्रोसेस टेक्नोलॉजी' उन्नत जानकारी और इंजीनियरिंग सहायता प्रदान करेगी। इसलिए, फॉर्म-एफ को तदनुसार संशोधित करने की आवश्यकता है।
- VI. फॉर्म-एफ के अंत में कंपनी की सील नहीं लगाई गई है।

2.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, ऊपर पैरा 2.2 में बताई गई कमियों के सुधार और संशोधित फॉर्म-एफ जमा करने के अधीन "(i) लैब या छोटे टैंक हीटर का विनिर्माण 85161000 (4800 टुकड़े/प्रति वर्ष); और ii) टाइटन इंस्टैंटेनियस वॉटर हीटिंग सिस्टम (85161000) (4800 टुकड़े/वर्ष)" मेसर्स एएसी प्रोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।



(3) शिव ज्वैलर्स-नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र NSEZ) में एक नई इकाई स्थापित करना।

3.1 यह बताया गया कि मेसर्स शिव ज्वैलर्स ने नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र NSEZ) में i) हस्तनिर्मित सादे चांदी के आभूषण, मशीन से बने 71131141) (150 किलोग्राम वर्ष) ; (ii) दस्तकारी, मशीन से बने सादे सोने के आभूषण 71131911) (1150 किलोग्राम/वर्ष); (iii). हीरे से जड़ित सोने के आभूषण 71131913)(2 किलोग्राम/वर्ष के निर्माण के लिए एक इकाई स्थापित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। श्री दलीप कुमार शर्मा, भागीदार अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

3.2 अनुमोदन समिति ने पाया कि परियोजना रिपोर्ट में, संयंत्र और मशीनरी, भवन, कार्यशील पूंजी और निर्यात के लिए आवश्यक धन का अनुमान काफी अधिक है, हालांकि, उपलब्धता या धन अनुमान के अनुरूप नहीं है। श्री शर्मा ने बताया कि वह कुछ अचल संपत्तियों के साथ-साथ बैंक से भी धन जुटाएंगे।

3.3 यह सूचित किया गया कि आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज/जानकारी जमा करने की आवश्यकता है:

- I. साझेदारी विलेख फर्मों का रजिस्ट्रार नहीं है। इसलिए, आवेदक को फर्मों के रजिस्ट्रार के साथ विधिवत पंजीकृत साझेदारी विलेख प्रस्तुत करना होगा।
- II. आवेदक से अनुरोध किया जा सकता है कि वे अपने पारिवारिक व्यवसाय का विवरण अर्थात उक्त व्यवसाय का नाम और पता और उनके द्वारा की जा रही गतिविधि प्रदान करें।
- III. साझेदारी विलेख 21.09.2023 को निष्पादित किया गया है, जबकि इसे 22.09.2023 को नोटरीकृत किया गया है, जिसे जमा करना होगा।
- IV. उनके पास उपलब्ध निर्यात ऑर्डर की प्रति देनी होगी।
- V. वित्त के स्रोत(स्रोतों के ब्यौरे के तहत फॉर्म-एफ के कॉलम VI में, इकाई ने उल्लेख किया है कि "साझेदार अपने स्वयं के फंड से वित्त पोषण करेंगे"। हालांकि, उनके बैंक स्टेटमेंट और आईटीआर के अनुसार, यह देखा गया है कि उनकी वित्तीय स्थिति परियोजना के अनुमानों के अनुरूप नहीं है। इसलिए, परियोजना के वित्तपोषण के समर्थन में अचल संपत्ति/बैंक ऋण आदि से संबंधित दस्तावेज दिए जाने की आवश्यकता है।

3.4 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, सैद्धांतिक रूप से, "(i) हस्तनिर्मित सादे चांदी के आभूषण, मशीन से बने 71131141) (150 किलोग्राम/प्रति वर्ष); (ii) का निर्माण सादे सोने के आभूषण, हस्तनिर्मित, मशीन से बने 71131911) (1150 किलोग्राम प्रति वर्ष); (iii) डायनमंड से जड़ित सोने के आभूषण 71131913) (2 किलोग्राम प्रति वर्ष मेसर्स शिव ज्वैलर्स के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, उपरोक्त पैरा 3.3 में देखे गए दस्तावेजों को प्रस्तुत करने और निर्यात आदेशों के सत्यापन के अधीन है।



(4) टॉरस एन्ग्लोब प्राइवेट लिमिटेड अधिकृत परिचालन में अतिरिक्त भंडारण वस्तुओं को शामिल करना।

4.1 यह सूचित किया गया कि मेसर्स टॉरस एन्ग्लोब प्राइवेट लिमिटेड को "1 विनिर्माण के लिए: (i) वाइल्डिंग मशीन टूल्स और सहायक उपकरण (8489000, 85151900) (क्षमता:2430000 टुकड़े/प्रति वर्ष); (ii) इलेक्ट्रोड धारक (84689000); (iii) अर्थ क्लैप/ग्राउंड क्लैप (84689000); (iv) केबल कनेक्टर (85159000); (v) वेल्डिंग इलेक्ट्रोड ओवन (85141000) (vi) वेल्डिंग जूते (85158090); (vii) वेल्डिंग जैकेट (42031010); (viii) वेल्डिंग हेलमेट (65061010); (ix) वेल्डिंग चश्में (90049090); (x) वेल्डिंग मिग और टाइग टॉर्च और सिलेंडर ट्रॉली, गेजिंग टोच, मैग्नेटिक पोशनर (85159000); (xi) पीतल की नली फिटिंग (74122090); 2. अध्याय 39, 40,44, 49, 72, 73, 74, 75, 76, 78,79,80, 81, 82, 84, 85, 94, 95" के तहत वस्तुओं की भंडारण गतिविधि पत्र के साथ संलग्न सूची के अनुसार दिनांक 17/01/2023) एलओए जारी किया गया है।

4.2 आगे बताया गया कि इकाई ने भंडारण वस्तुओं की एक संशोधित सूची प्रस्तुत की है और आईटीसी (एचएस अध्याय 1,2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22,25, 26,28,29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,53, 54, 55, 56,57, 58, 59,60, 61, 62,63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98 के तहत माल के भंडारण की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है।

4.3 श्री विलास गुप्ता निदेशक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

4.4 अनुमोदन समिति ने पाया कि प्रस्तावित अध्याय के तहत कई प्रतिबंधित/निषिद्ध वस्तुएं हैं, जिनमें कीमती और अर्ध-कीमती धातुएं शामिल हैं, जो संवेदनशील वस्तुएं हैं, जिनके गलत उपयोग/ परिवर्तन का खतरा है और भारी राजस्व प्रभाव पड़ता है।

4.5 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, आईटीसी (एचएस अध्याय 18,19,20,,21,22 (2203 से 2208 को छोड़कर), 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,62, 63,64,65,66, 67,68,69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 90, 91 (9101 को छोड़कर),92, 94, 95, 96, 97, 98, के तहत निम्नलिखित शर्तों के अधीन माल के भंडारण को मंजूरी देने का निर्णय लिया:-

- I. अध्याय 2203 से 2208,2616 और 9101 के तहत माल के भंडारण की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- II. (ए आयात के लिए प्रतिबंधित/निषिद्ध वस्तुओं और बी सभी प्रकार के कचरे/स्कैप के भंडारण की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- III. भंडारण की गतिविधियां केवल विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ) नियम, 2006 के नियम 18(5) के दायरे और सीमा और समय-समय पर वाणिज्य विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देश संख्या 49 और अन्य परासंगिक निर्देशों/दिशानिर्देशों के अनुसार होंगी। इकाई द्वारा सभी लेनदेन केवल परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में होंगे।



I/52089/2023

- IV. इकाई नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) सीमा शुल्क की संतुष्टि के लिए अपनी विनिर्माण और भंडारण गतिविधियों के लिए अलग प्रवेश/निकास बनाए रखेगी।
- V. डीजीएफटी के अनुसार सभी निर्यात और आयात नीति शर्तों को पूरा किया जाएगा।

(5) लक्ष्मण ओवरसीज एलओए में अधिकृत संचालन के रूप में अतिरिक्त भंडारण उत्पादों को शामिल करना।

5.1 यह बताया गया कि मेससर लक्ष्मण ओवरसीज ने अपने एलओए में आईटीसी एचएस कोड 2710, 2822 और 8105 के तहत अतिरिक्त भंडारण माल को शामिल करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

5.2 श्री विपुल अग्रवाल, मालिक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। अनुमोदन समिति ने पाया कि अध्याय 2710 के तहत कई वस्तुएँ कुछ नीतिगत शर्तों के साथ आयात और निर्यात के लिए प्रतिबंधित हैं। श्री अग्रवाल ने बताया कि उन्हें अध्याय शीर्ष 2710 के तहत सभी एचएस कोड की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनके ग्राहक को केवल एक उत्पाद की आवश्यकता है।

5.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, प्रस्तावित उत्पादों के पूर्ण 8 अंकों वाले एचएस कोड को प्रस्तुत करने के अधीन अतिरिक्त भंडारण वस्तुओं को शामिल करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अनुमोदन समिति ने आगे निर्देश दिया कि किसी भी प्रतिबंधित/निषिद्ध वस्तुओं की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(6) सनग्लास पैलेस प्राइवेट लिमिटेड एलओए का नवीनीकरण, एलओए में अतिरिक्त अधिकृत संचालन को शामिल करना और यूएसी के दिनांक 03.01.2023 के निगरय के मद्देनजर परदशरन की निगरानी करना।

6.1 यह सूचित किया गया कि मेसर्स सनग्लास पैलेस प्राइवेट लिमिटेड को "आयातित घड़ियों (91021100, 91021990, 91021900), बैग, सभी क्रॉकरी आइटम (69120010), परिधान परिधान (62019300), 62021110, 62034990, 64039990), और जूते (64022010, 64032021) (केवल 100% भौतिक निर्यात के लिए)" के व्यापार के लिए दिनांक 28.12.2012 को एलओए जारी किया गया है।

6.2 आगे बताया गया कि इकाई ने पांच साल के तीसरे ब्लॉक यानी 27/09/2023 से 26/09/2028 तक के लिए एलओए के नवीनीकरण के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है और साथ ही संशोधन के लिए अधिकृत संचालन में "व्यापार, भण्डारण और सेवाएँ: 1. (i) 2 लीटर या उससे कम क्षमता वाले कंटेनरों में बॉर्बन व्हिस्की (22083011), (ii) 2 लीटर या उससे कम क्षमता वाले कंटेनरों में स्कोच (22083012), (iii) 2 लीटर क्षमता वाले कंटेनरों में मिश्रित या उससे कम (22083013), (iv) 2 लीटर या उससे कम क्षमता वाले कंटेनरों में 80% से कम अन्य अल्कोहल (22083019); 2. (i) चमड़े का यात्रा सामान (42021110), (ii) ब्रीफ

को

I/52089/2023

केस (42021140), (iii) वैनिटी केस (42021160), (iv) यात्रा सामान (42021910), (v) महिलाओं के लिए बाहरी सतह वाले हैंड बैग चमड़े या मिश्रित चमड़े के (42022110), (vi) चमड़े या मिश्रित चमड़े की बाहरी सतह वाले वैनिटी बैग (42022120), (vii) कृत्रिम प्लास्टिक सामग्री के हैंड बैग/शिपिंग बैग (42022210), (ix) अन्य लेख (42022990), (x) चमड़े या मिश्रित चमड़े की बाहरी सतह वाले आभूषण बक्से (42023110), (xi) बाहरी सतह या मिश्रित चमड़े वाले चमड़े के बटुए और पर्स (42023120); 3.(i) महिलाओं के लिए लड़कियों के सूट, जैकेट, ब्लेज़र, ड्रेस, ब्रेस ओवरऑल, ब्रीच और शॉर्ट्स, बुना हुआ या क्रॉकेट, जिसका मूल्य 1000 रुपये से अधिक न हो - प्रति रेशम का टुकड़ा (61041910), (ii) महिलाओं के लिए लड़कियों के सूट, जैकेट, ब्लेज़र, पोशाक, ब्रेस चौगा, बुना हुआ या क्रॉकेट वाला ब्रीच और शॉर्ट्स जिसका मूल्य 1000 रुपये से अधिक न हो - कृत्रिम फाइबर का प्रति टुकड़ा (61041920), (iii) महिलाओं के लड़कियों के सूट, जैकेट, ब्लेज़र, ड्रेस, ब्रेस चौगा, बुना हुआ या क्रॉकेट किया हुआ ब्रीच और शॉर्ट्स 1000 रुपये से अधिक मूल्य का नहीं - अन्य प्रति टुकड़ा (61041990); 4.(i) बच्चों के बुने हुए या क्रॉकेट किए हुए कपड़े और सहायक उपकरण, जिनका मूल्य 1000 रुपये प्रति कपास का टुकड़ा (61112000) से अधिक न हो, (ii) बच्चों के बुने हुए या क्रॉकेट किए हुए कपड़े के सामान, जिनका मूल्य 1000 रुपये प्रति कृत्रिम फाइबर के टुकड़े से अधिक हो (61113000), (iii) शिशुओं के बुने हुए या क्रॉकेट किए गए वस्त्र और सहायक उपकरण जिनकी कीमत 1000 रुपये प्रति पीस से अधिक न हो (61119090); 5. (i) महिलाओं या लड़कियों के सूट, जैकेट, ब्लेज़र, ड्रेस स्कर्ट पतलून बिब और ब्रेस ओवरऑल, ब्रीच और शॉर्ट्स जो बुना हुआ या क्रॉकेट नहीं किया गया है, जिसका मूल्य 1000 रुपये प्रति ऊन और बढ़िया जानवरों के बाल (62041100) से अधिक नहीं है, (ii) महिलाओं के लिए या लड़कियों के सूट, जैकेट, ब्लेज़र, ड्रेस स्कर्ट पतलून बिब और ब्रेस ओवरऑल, ब्रीच और शॉर्ट्स जो बुना हुआ या क्रॉकेट नहीं है, जिसका मूल्य 1000 रुपये से अधिक नहीं है - प्रति कपास का टुकड़ा (62041200), (iii) महिलाओं या लड़कियों के सूट, जैकेट, ब्लेज़र, ड्रेस, स्कर्ट पतलून बिब और ब्रेस ओवरऑल, ब्रीच और शॉर्ट्स जो बुना हुआ या क्रॉकेट नहीं किया गया है, अन्य कपड़ा सामग्री के प्रति पीस 1000 रुपये से अधिक मूल्य का नहीं (62046919); 6. (i) बच्चों के परिधान और कपड़ों के सहायक उपकरण सभी वस्तुओं का बिक्री मूल्य 1000 रुपये से अधिक नहीं - प्रति कपास का टुकड़ा (62092000), (ii) बच्चों के परिधान और कपड़ों के सहायक सामान सभी वस्तुओं का बिक्री मूल्य 1000 रुपये से अधिक नहीं - प्रति कपास का टुकड़ा (62099090), (iii) बच्चों के परिधान और कपड़ों के सहायक उपकरण सभी वस्तुओं की बिक्री मूल्य 1000 रुपये से अधिक नहीं - प्रति रेशम का टुकड़ा (62099010); 7.(i) पुरुषों के लिए बाहरी तलवा चमड़े का और ऊपरी भाग जिसमें पैरों के ऊपरी भाग और अंगूठे के चारों ओर चमड़े की पट्टियाँ होती हैं (64032011), (ii) बाहरी तलवा चमड़े का और ऊपरी भाग वाले जूते जिनमें ऊपरी भाग पर चमड़े की पट्टियाँ होती हैं महिलाओं के लिए पैर के अंगूठे के चारों ओर और उसके चारों ओर (64032012), (iii) चमड़े के बाहरी तलवे और ऊपरी भाग वाले जूते, जिसमें बच्चों के लिए पैर के ऊपरी हिस्से में और बड़े पैर के अंगूठे के आसपास चमड़े की पट्टियाँ होती हैं (64032013); 8.(i) सभी सिरेमिक टेबल, बरतन, अन्य घरेलू सामान और चीनी मिट्टी या चीन के अलावा शौचालय के सामान (69120010 से 69120090); 9.(i) पानी पंप (84133030), (ii) अन्य प्रत्यागामी सकारात्मक विस्थापन अन्य पंप (84135029), (iii) पानी संभालने के लिए लिए हैंड पंप (84139140), (iv) बिजली चालित पंप के हिस्से (84139190); 10.(i) बटन सेल (85068010), (ii) कॉफी या चाय मेकर (85167100), (iii) 20 इंच से अधिक न होने वाले कंप्यूटर मॉनिटर (85284200), (iv)

किा

I/52089/2023

कंप्यूटर अन्य मॉनिटर (85284900), (v) उपयुक्त हिस्से मॉनिटर और प्रोजेक्टर के उपयोग के लिए (85291099), (vi) 36 मिमी (85287211) तक स्क्रीन आकार का टेलीविजन सेट, (vii) 36 मिमी (85287212) तक स्क्रीन आकार का टेलीविजन सेट, (viii) एलसीडी टेलीविजन सेट स्क्रीन आकार 25 से कम सेमी (85287310), (ix) एलसीडी टेलीविजन सेट स्क्रीन अन्य (85287390); 11.(i) मैकेनिकल डिस्प्ले के साथ (91021100), (ii) ऑप्टो-इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले के साथ (91021200), (iii) ऑटोमैटिक वाइंडिंग के साथ (91022100); 12.(i) यांत्रिक फिटिंग के साथ अस्पताल के बिस्तर (94029010), (ii) हिस्से (94029020); 13.(i) रबर का गद्दे का समर्थन (94042110), (ii) प्लास्टिक का गद्दे का समर्थन (94042190), (iii) स्प्रिंग का गद्दे का समर्थन (94042910), (iv) रबरयुक्त कॉयर का गद्दे का समर्थन (94042920); 14.(i) क्रिसमस उत्सव के लेख (95051000), (ii) अन्य मनोरंजन लेख (95059090); 15. सेवा गतिविधियाँ: लेखांकन, लेखापरीक्षा और बहीखाता सेवाएँ (i) लेखांकन समीक्षा प्रणाली (86212), (ii) वित्तीय विवरण सेवाओं का संकलन (86213), (iii) अन्य लेखांकन सेवाएं (86219)" को शामिल किया गया है।

6.3 पाँच वर्षों के पिछले ब्लॉक के दौरान इकाई का प्रदर्शन इस प्रकार है:

(मूल्य लाख रुपये में)					
वर्ष	निर्यात	विदेशी मुद्रा आउटगो	एनएफई कमाई	डीटीए बिक्री	लंबित विदेशी मुद्रा
2018-19 (27.09.18-31.03.19)	34.25	0.00	34.25	0.00	0.00
2019-20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021-22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022-23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	34.25	0.00	34.25	0.00	0.00

अनुमोदन समिति ने पाया कि पिछले ब्लॉक के दौरान इकाई का प्रदर्शन नगण्य है और इकाई के गैर-प्रदर्शन पर अपनी नाराजगी व्यक्त की।

6.4 इकाई के प्रतिनिधि श्री योगेश कुमार अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया। श्री कुमार ने बताया कि कोविड और अंतरराष्ट्रीय बाजार में मंदी के कारण वे ज्यादा कारोबार नहीं कर पाये, अब व्यवसाय को पुनर्जीवित करने के लिए, उन्होंने अधिकृत संचालन में नई वस्तुओं को शामिल करने की योजना बनाई है।

6.5 आगे बताया गया कि इकाई को निम्नलिखित कमियों को दूर करना आवश्यक है:

दिनांक

I/52089/2023

- I. फॉर्म-एफ में उल्लिखित प्रस्तावित अतिरिक्त अधिकृत संचालन में, एचएस कोड और मौजूद नहीं हैं। इकाई को सही एचएस कोड प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- II. आईटीसी एचएस कोड 42022990, 64039990 और 85287212 के सामने उल्लिखित विवरण सीबीआईसी/डीजीएफटी से बेमेल है। इसलिए, सही विवरण का उल्लेख किया जाना आवश्यक है
- III. उपरोक्त कमियों को सुधारने के बाद सही फॉर्म-एफ1 को विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) ऑनलाइन सिस्टम पर जमा करना होगा।

6.6 अनुमोदन समिति ने एजेंडे पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, "1.(i) बॉर्बन व्हिस्की 2 लीटर या उससे कम क्षमता वाले कंटेनरों में 22083011), (ii) 2 लीटर या उससे कम क्षमता वाले कंटेनरों में स्काॅच 22083012), (iii) 2 लीटर या उससे कम क्षमता वाले कंटेनरों में मिश्रित 22083013), (iv) अन्य अल्कोहल 80% से कम 2 लीटर या उससे कम 22083019) वाले कंटेनरों में" को छोड़कर कमियों के सुधार और सही फॉर्म-एफ1 जमा करने के अधीन, इकाई द्वारा प्रस्तावित अधिकृत संचालन के लिए एलओए की वैधता को दो साल की अवधि के लिए यानी 26/09/2025 तक नवीनीकृत करने का निर्णय लिया। अनुमोदन समिति ने आगे निर्देश दिया कि अधिकृत संचालन निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

(i) 'भंडारण गतिविधियों' के संबंध में विशिष्ट शर्तें:

(ए भंडारण की गतिविधियां केवल विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 18 (5) और निर्देश संख्या 49 और वाणिज्य विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विषय पर अन्य प्रासंगिक निर्देशों/दिशानिर्देशों के दायरे और सीमा के अनुसार होंगी। इकाई द्वारा सभी लेनदेन केवल परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में होंगे।

(बी इकाई नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) सीमा शुल्क की संतुष्टि के लिए अपने व्यापार और भंडारण गतिविधियों के लिए अलग प्रवेश/निकास बनाए रखेगी।

(सी भंडारण के लिए किसी भी प्रतिबंधित/निषिद्ध वस्तु की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) व्यापारिक वस्तुओं के संबंध में किसी भी डेटा बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iii) किसी भी उत्पाद के लिए जो एफटीपी के तहत निर्यात के लिए 'प्रतिबंधित' है, इकाई को निर्यात करने से पहले उस विशिष्ट उत्पाद के लिए डीजीएफटी के कार्यालय से 'निर्यात लाइसेंस' प्राप्त करना होगा।

(iv) इकाई व्यापार, भंडारण और सेवा गतिविधियों के लिए अलग-अलग क्षेत्र बनाए रखेगी और व्यापार, भंडारण और सेवा गतिविधियों के लिए एनएफई के अलग-अलग रिकॉर्ड/खाते बनाए रखेगी।

डि।

(7) रिलायंस प्रीसीटोन ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ) नियम, 2006 के नियम 54 के संदर्भ में प्रदर्शन की निगरानी और विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ) नियम 2006 के 74 ए के तहत प्लॉट संख्या जेसी-7,8,9 नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र NSEZ) पर परिसंपत्तियों और देनदारियों के निकास और हस्तांतरण की अंतिम मंजूरी।

7.1 यह सूचित किया गया कि मेसर्स रिलायंस प्रीसीटोन ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक के माध्यम से प्लॉट संख्या जेसी-7,8,9, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र NSEZ) से मेसर्स एसोसिएटेड लाइटिंग कंपनी को संपत्ति और देनदारियों के निकास और हस्तांतरण के लिए एक अनुरोध प्रस्तुत किया था।

अनुमोदन समिति ने 05.04.2022 को हुई अपनी बैठक में मेसर्स रिलायंस प्रीसीटोन ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ) योजना से बाहर निकलने और प्लॉट संख्या जेसी-7,8,9, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र NSEZ) पर अपनी संपत्तियों और देनदारियों को विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ) नियम, के नियम ए के अनुसार "(i) मेसर्स रिलायंस प्रीसीटोन ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निकास औपचारिकताओं को पूरा करना; (ii) हस्तांतरणकर्ता की संपत्ति और देनदारियों को भुगतान संभालने के संबंध में, मेसर्स एसोसिएटेड लाइटिंग कंपनी को हस्तांतरित करने के लिए मेसर्स रिलायंस प्रीसीटोन ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी। इकाई ने अपने पत्र दिनांक 12.09.2023 के माध्यम से निकास उद्देश्यों के लिए दस्तावेज़/एनओसी प्रस्तुत किए हैं जिनकी अलग से जांच की जा रही है।

7.2 अनुमोदन समिति ने पाया कि इकाई का प्रदर्शन इस प्रकार है:

वर्ष	निर्यात	विदेशी मुद्रा आउटगो	एनएफई कमाई	डीटीए बिक्री	लंबित विदेशी मुद्रा
छठा खंड					
2018-19	31.40	0.00	31.40	0.00	0.00
2019-20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020-21	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00
2021-22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022-23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	35.68	0.00	35.68	0.00	0.00
सातवाँ खंड					
2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

किंगी

I/52089/2023


7.3 अनुमोदन समिति ने इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की और छठे ब्लॉक यानी 2018-19 से 2022-23 तक के दौरान इकाई द्वारा सकारात्मक एनएफई आय की उपलब्धि को नोट किया।


अनुमोदन समिति ने आगे पाया कि इकाई ने 2023-24 के दौरान कोई निर्यात/एनएफई आय नहीं अर्जित की है। अनुमोदन समिति ने यह भी नोट किया कि किसी भी निर्यात आय को वसूली के लिए लंबित नहीं दिखाया गया है।

7.3 अनुमोदन समिति ने इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की और छठे ब्लॉक यानी 2018-19 से 2022-23 तक के दौरान इकाई द्वारा सकारात्मक एनएफई आय की उपलब्धि को नोट किया। अनुमोदन समिति ने आगे पाया कि इकाई ने 2023-24 के दौरान कोई निर्यात/एनएफई आय नहीं अर्जित की है। अनुमोदन समिति ने यह भी नोट किया कि किसी भी निर्यात आय को वसूली के लिए लंबित नहीं दिखाया गया है।

7.4 समिति ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के नियम 2006 के 74 ए, (i) मेसर्स रिलायंस प्रीसीटोन ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निकास औपचारिकताओं की पूर्ति के अधीन; (ii) लागू हस्तांतरण शुल्क का भुगतान और (iii) हस्तांतरणकर्ता की संपत्ति और देनदारियों को संभालने के संबंध में हस्तांतरिती द्वारा एक उपक्रम प्रस्तुत करना के तहत प्लॉट संख्या जेसी-7,8,9, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) पर संपत्तियों और देनदारियों के निकास और हस्तांतरण के लिए मेसर्स रिलायंस प्रीसीटोन ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड को मेसर्स एसोसिएटेड लाइटिंग कंपनी को अंतिम मंजूरी देने का निर्णय लिया। अनुमोदन समिति ने परियोजना अनुभाग, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) को फ़ाइल पर अंतिम निकास जारी करने के मामले की जांच करने का निर्देश दिया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।


(किरण मोहन मोहाडीकर
उप विकास आयुक्त


(सुरेंद्र मलिक)
विकास आयुक्त प्रभारी)